रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2014/पौष 17, 1935
No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2014/PAUSHA 17, 1935

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 5(अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रकाशन निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क), प्रबंधक (मुद्रणालय), भर्ती नियमावली, 1986 को उन बातों के सिवाएं जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने के लिए लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रचार और जन संपर्क निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क निदेशालय में प्रबंधक (मुद्रणालय) के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:

(1) ये नियम प्रचार और जन संपर्क निदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, प्रबंधक (मुद्रणालय), भर्ती नियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान** –

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि-**

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता: वह व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह करने का समझौता किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, अथवा विवाह करने का समझौता किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा गैर चयन वाले पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रबंधक (मुद्रणालय)	1 (2014)* * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) गैर अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 (9300-34800/-रू.) और ग्रेड वेतन 4600/- रू.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों हेतु पांच वर्ष तक की रिआयत)। नोट: आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पंगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए यह समापन तिथि विनिर्धारित नहीं है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं क्या प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : पुस्तक अभिकल्पना मुद्रण और उत्पादन में दो वर्ष के अनुभव के साथ किसी	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और पदोन्नत कर्मचारियों हेतु दो वर्ष

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। वांछनीय: सामान्य प्रशासन और अनुरक्षण अथवा भंडार हेतु खरीद का एक वर्ष का अनुभव अथवा किसी फोटो लिथो मुद्रणालय में प्रोसेस कैमरा का अनुभव। नोट:1 संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित रुप से कारणों को दर्ज करते हुए अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। नोट:2 यदि संघ चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अपेक्षित अनुभव वाले इन समुदायी के पर्याप्त उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर कारणो को लिखित रुप में दर्ज करके अनुमत की अर्हता में रिआयत दी जा सकती है		

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा जिसमें सफल न होने पर प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) द्वारा, दोनों में सफल न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: संबद्ध ग्रेड में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा सहित पी बी-1 (5200-20200/-रू.) जमा 2800/- रु. के ग्रेड वेतन में मशीन संचालक/कैमरा मैन/लेआऊट कलाकार/गैदरिंग मशीन संचालक/वरिष्ठ आईबीएम टंकक के ग्रेडों से पदोन्नति। नोट: पीबी-2 जमा 4600/-रू. के ग्रेड वेतन में प्रबंधक (मुद्रणालय) के पद में पदोन्नति पर, परिवीक्षा अवधि के भीतर, प्रचार और जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा विकसित किए जाने वाले मॉड्यूल, प्रवेशन प्रशिक्षण को सरकारी कर्मचारी को पूरा करना होगा जिसमें सफल न होने पर उसे प्रत्यावर्तित किया जाएगा। नोट 1: जहां पदोन्नति हेतु ऐसे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता को पूरा कर लिया है, के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ कर्मचारियों हेतु भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पहले से पूरी किए हुए उनके कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में

	पदोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। नोट 2: पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा संगणन के उद्देश्य से, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे के लागू होने की तिथि 1.1.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित लागू तदनुरुपी ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति: (अल्प कालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत अधिकारी: (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पीबी-2(9300-34,800/-रु.) जमा 4200/-रु. के ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ; अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पीबी-1(5200-20,200/-रु.) जमा 2800/-रु. अथवा समकक्ष के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विनिर्धारित शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव को रखने वाले। नोट 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारियों जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में है पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। (केन्द्रीय सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित कोई अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तिथि को मौजूद स्थिति के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) नोट 2: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से, 1 जनवरी, 2006 अर्थात् वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे को लागू किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा किसी नियमित आधार पर दी गई सेवा, सिवाय वहां जहां एक समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान सहित एक ग्रेड में एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतन मान का विलय किया गया है, और जहां यह लाभ, बिना किसी उन्नयन के ऐसे पदों जिसके लिए उस ग्रेड वेतन/वेतनमान में सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, के लिए ही दिया जाएगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तद्नुरुपी लागू ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति और स्थायीकरण हेतु):- 1. आयुक्त, प्रचार और जन सम्पर्क निदेशालय- अध्यक्ष 2. अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त, प्रचार और जन सम्पर्क निदेशालय- सदस्य 3. मुद्रण प्रौद्योगिकी से एक तकनीकी विशेषज्ञ (विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)- सदस्य	अधिकारी की सीधी भर्ती करते समय तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय (अल्पकालिक संविदा सहित) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

[फा.सं.ए-12018/03/2007-प्रशा.IIख]

बी. के. मंथन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2014

G.S.R. 5(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Publications (Central Excise and Customs), Manager (Press), Recruitment Rules, 1986 except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager (Press) in the Directorate of Publicity and Public Relations (Central Excise and Customs) in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely:—

1. **Short title and commencement. –**

(1) These rules may be called the Directorate of Publicity and Public Relations, Central Excise and Customs, Manager (Press), Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale. –**

The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. -**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

63 GI/14-2

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Manager (Press)	1 (2014)* * (Subject to variation depending on workload).	General Central Service, Group 'B' (Gazetted) Non-Ministerial.	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay Rs.4600/-

Whether selection or non-selection post	Age limit for Direct Recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note-The** crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba-District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential :** Diploma in Printing Technology from a recognised University or Institute with two years experience in designing printing and production of books. **Desirable :** One year's experience of general administration and maintenance or purchase of store or experience of process camera in a photo-litho Press. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these community possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits and for promotees	By promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract) failing both by direct recruitment	**Promotion:** Promotion from the grades of Machine Operator/ Cameraman/ Layout Artist/ Gathering Machine Operator/Senior IBM Typist in PB-1(Rs.5200-20200/-) plus Grade Pay of Rs.2800/- with eleven years regular service in the concerned grade. **Note:** On promotion to the post of Manager (Press) in PB-2 plus Grade Pay of Rs.4600, the Government Servant shall have to complete the induction training, module to be developed by Directorate of Publicity and Public Relations, within the probation period failing which he or she will be reverted. **Note1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

63 GI/14-3

			Deputation: (Including Short Term Contract) Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the PB-2 (Rs.9300-34800/-) plus Grade Pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent Cadre or Department; or (iii) with eleven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the PB-1 (Rs.5200-20,200/-) plus Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 i.e. the date from which the revised pay structure based on 6th Central Pay Commission recommendations has

			been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for post(s) for which that grade pay / pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation): 1. Commissioner, Directorate of Publicity and Public Relations - Chairman. 2. Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Publicity and Public Relations – Member 3. A Technical expert from Printing Technology (nominated by the Chairman of Departmental Promotion Committee)- Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (Including Short Term Contract).

[F. No. A-12018/03/2007-Ad.II B]

B.K. MANTHAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 66.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, प्रबंधक (मुद्रणालय) भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, प्रबंधक (मुद्रणालय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, प्रबंधक (मुद्रणालय) भर्ती नियम, 2014 में,-

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया गया है।"

(ख) अनुसूची में,-

(i) स्तंभ (4) में,-

(अ) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(आ) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रु.)"

(ii) कॉलम (11) में,-

(अ) 'प्रोन्नति' शीर्ष के अधीन, "वेतन-बैंड-1 (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 2800 रुपए" अक्षरों, कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रु.)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जाएगा।

(आ) प्रतिनियुक्ति शीर्ष के अधीन, "वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु." और "वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 2800 रु." शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर क्रमशः "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)" और "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को रखा जाएगा।

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 5(अ) दिनांक 06 जनवरी, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 7 जनवरी, 2014 को प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. 10ए12/5/2016-एडी-IIबी]

नगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 27th February, 2018

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Publicity and Public Relations, Central Excise and Customs, Manager (Press), Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Directorate of Publicity and Public Relations, Central Excise and Customs, Manager (Press), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

Scanned by CamScanner

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Publicity and Public Relations, Central Excise and Customs, Manager (Press), Recruitment Rules, 2014, -

(a) for rule 2, the following shall be substituted:

"2. **Number of post, classification, Level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification, Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(b) In the Schedule, -

(i) in column (4), -

(A) for the heading, the following shall be substituted, namely: -

"Level in the pay matrix";

(B) for the entry, the following shall be substituted, namely: -

"Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)":

(ii) in column (11), -

(A) under the heading "Promotion", for the letters, brackets, words and figures "PB-1 (Rs. 5200-20200/-) plus Grade Pay of Rs. 2800/-", the words, brackets and figures "Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" shall be substituted;

(B) under the heading "Deputation", for the letters, words, figures and brackets "PB-2 (Rs.9300-34800/-) plus Grade Pay of Rs. 4200/-" and "PB-1 (Rs. 5200-20,200/-) plus Grade Pay of Rs. 2800)", the words, figures and brackets "Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)" and "Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" respectively, shall be substituted.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated the 7th January, 2014 *vide* G.S.R. 5(E) dated 6th January, 2014.

[F. No. 10A12/5/2016-Ad.IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 67.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (संवद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क वोर्ड (संवद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संवद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पद की संख्या,वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2)से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,

Scanned by CamScanner